

बिहार सरकार
समाहर्ता, नवादा- सह - समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा -19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या९३...../नवादा, दिनांक.....९.....२.....२०१७/


चूंकि समाहर्ता, नवादा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- रामदासी, थाना- रजौली, थाना नं०- 182, अंचल-रजौली, जिला-नवादा में कुल 5.26 एकड़ यानि 2.1286 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा, - फुलवरिया जलाशय योजना अन्तर्गत पुनर्वास स्थल परियोजना हेतु अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भूखंड है जो मानक माप से कमोवेश 5.26 एकड़ यानि 2.1286 हेक्टेयर है। जो ग्राम- रामदासी, थाना- रजौली, थाना नं०- 182, अंचल- रजौली, जिला-नवादा में है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र ०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	98	728	न्यायालय द्वारा स्वत्व घोषित	गैरमजरूआ मालिक	5.26	बालगोविन्द प्रसाद पिता स्व० पुनीत साव ग्राम+थाना- रजौली, नवादा वर्तमान पता- गोनावा जैन मंदिर रोड, थाना+जिला- नवादा।	प्लॉट नं०- 723, 727, 709	हरदिया थाना नं०- 149,	प्लॉट नं० 729 एवं 733	एन०ए च०- 31

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। ग्राम-रामदासी, थाना-रजौली, थाना नं०-182 अंचल-रजौली, जिला -नवादा क्षेत्रफल-5.26 एकड़ यानि 2.1286 हेक्टेयर भूमि या उक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज है, ऐसे भागों में पड़े खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है। परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

उपरोक्त भू-अर्जन कार्य के अंतर्गत पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना की आवश्यकता नहीं है।


समाहर्ता,
नवादा।